न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 105/2018

डालचंद पुत्र हीरालाल जाति ढोली निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर0टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री दयाकृष्ण धाकड
दायरा दिनांक: 23.08.2018 निर्णय दिनांक : 14.09.2018

प्रस्तुत वाद पत्र में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय दिनांक 10.06.2016 से अप्रसन्न होकर वादी द्वारा एक अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में दिनांक 09.11.2016 को प्रस्तुत की गयी। माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा उक्त अपील संख्या 372/2016 में दिनांक 17.08.2017 को निर्णय पारित किया जिसकी प्रति शामिल फाईल है। माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा सुनाये गये निर्णय अनुसार अपील संख्या 372/2016, आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 53/2013 बउनवान डालचंद बनाम राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है, कि जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर प्रकरण मे नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है।

माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा सुनाये गये निर्णय की पालना में पत्रावली दिनांक 23.08.2018 को पुनः नम्बर पर ली गयी। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है से प्रकरण के संदर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का जवाब दावा दिनांक 31.08.2018 को प्रस्तुत किया जो शामिल फाईल है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल (लेण्ड होल्डर) की ओर से जवाब दावा वाद पत्र बिन्दुवार निम्न प्रकार है:–

1. यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वादी को पुराने खसरा नं0 792 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा किस्म बंजड वाके ग्राम रायथल में दिनांक 03.07.1989 को आवंटन होना और इस आवंटित भूमि पर दिनांक 03.07.1989 को कब्जा दखलनामा दिया जाना प्रकट है। तदनुसार वादी को विधिवत आवंटन होना स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र की मद नं0 2 संलग्न दस्तावेजो से कुछ आवंटन राशी भी जमा होना प्रमाणित है। एवं आवंटन आराजी वक्त आवंटन बंजड होना भी दस्तावेजो से प्रमाणित है। लेकिन सहवनीय गलती से रेकार्ड में आवंटन खसरा नं0 792 के हाल खसरा नं0 2917 रकबा 0.48 है0 किस्म चारागाह घोषित होने से अमल राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दिया जाना अधिकार क्षेत्र में नही है।
3. यह कि वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। क्योकि वर्तमान में किस्म भूमि चारागाह होने से अमल नही किया जा सका।
4. यह कि वाद पत्र की मद नं0 4 में वादी का वादग्रस्त आराजी पर काबिज होना स्वीकार है।
5. यह कि वाद पत्र की मद नं0 5 में वादी को आवंटन होना स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र की मद नं0 6, 7, 8 कानूनी है।

<u>विशेष निवेदनः–</u>

यह है कि ग्राम रायथल में वादी को आवंटन शुदा आराजी साबिक खसरा नं0 792 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा जिसके मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 946 जिसके मुताबिक वर्तमान केचमेंट द्वारा खसरा नं0 2917 रकबा 0.48 है0 किस्म चारागाह दर्ज कर दिया है। इस प्रकार वाद वादी (मुताबिक वर्तमान रेकार्ड) खारिज फरमावें।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 31.08.2018 को वादीगण असालतन मय दो गवाहान क्रमशः रामगोपाल पुत्र गणपत लाल उम्र 70 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रायथल व गिरिराज पुत्र श्री किशनलाल उम्र 32 वर्ष जाति रेगर निवासी रायथल के मय तस्दीक शुदा शपथ पत्र सहित उपस्थित हुआ। उक्त दोनो गवाहान ने अपने बयान में अंकन किया

को डालचंद पुत्र हीरालाल जाति ढोली निवासी रायथल को 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी एवं उसी आराजी पर वादी काबिज काश्त है जिसके हाल खसरा नं0 946 रकबा 0.48 है0 के केचमेंट नं 2917 रकबा 0.48 है0 आराजी पर बदस्तूर काबिज काश्त चला आ रहा है।

प्रकरण में दिनांक 14.09.2018 को वकील वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार है की बहस सुनी गयी। संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट व बयान गवाहान व सुनी गयी बहस पर मनन के पश्चात वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादी डालचंद पुत्र हीरालाल जाति ढोली निवासी रायथल तहसील मांगरोल को ग्राम रायथल की साबिक खसरा नं0 792 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा जिसके मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं0 946 जिसके मुताबिक वर्तमान केचमेंट द्वारा खसरा नं0 2917 रकबा 0.48 है0 किस्म चारागाह अंकित कर दिया है। जिस पर वादी को कब्जे काश्त आवंटन आदेश व दखलनामा मिलान क्षेत्रफल, नकल फर्द इख्तलाफ केचमेंट साक्ष्य सबूत वादी एवं अन्य गवाहान एवं रिपोर्ट पटवारी कब्जा संबंधी की रोशनी में वादी आवंटी डालचंद पुत्र हीरालाल जाति ढोली निवासी रायथल तहसील मांगरोल को हाल खसरा नं0 2917 रकबा 0.48 है0 किस्म चारागाह के बजाय वर्तमान नहरी पर उपनिवेशन एक्ट के तहत गैरखातेदारी का इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार राजस्व रेकार्ड में गैरखातेदारी का अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में